न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2132–एक/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–10–2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण कमांक 370/2003–04/अपील.

नंदा पिता रामाजी गुर्जर
निवासी ग्राम अटलावदा तहसील नागदा

———आवेदक

विरूद्ध

बालू पिता सालम गुर्जर
निवासी ग्राम अटलावदा तहसील नागदा

———अनावेदक

– – – – – – –

श्री रमेश मूणत, अभिभाषक, आवेदक
श्री ए0आर0 यादव, अभिभाषक, अनावेदक

– – – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 27 नवम्बर 2015)

– – – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के आदेश दिनांक 19–10–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि आवेदक ने एक आवेदन पत्र धारा 109, 110 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत सर्वे कमांक 614 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा की कृषि भूमि ग्राम

अटलावदा तहसील खचरौद पर इस आधार पर प्रस्तुत किया कि उसने अनावेदक बालू से दिनांक 30–5–91 को 50,000/– में कय की तथा कब्जा प्राप्त किया है जिसे बंदोबस्त पश्चात सर्वे नं0 710 रकबा 0.88 हे0 किया गया। आवेदक ने तहसील न्यायाल में कब्जा इंद्राज हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसे दिनांक 28–11–97 अनुसार कब्जा इंद्राज किया गया जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त की परंतु आयुक्त ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी विचाराधीन है। अतः उक्त भूमि पर आवेदक का नामांतरण किया जाये। अपर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 31–1–04 के द्वारा आवेदक का आवेदन अस्वीकार किया। अपर तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28–5–04 के द्वारा आवेदक की अपील निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 19–10–05 दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखते हुये अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि आवेदक ने सर्वे कमांक 614 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा की कृषि भूमि ग्राम अटलावदा तहसील खचरौद अनावेदक बालू से दिनांक 30–5–91 को 50,000/– में कय करने बावत दस्तावेज निष्पादित कराये गये तथा कब्जा प्राप्त किया, परन्तु उक्त दस्तावेज अपंजीयत होने के कारण नामांतरण आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क किया कि आवेदक का वर्ष 1991 से लगातार कब्जा चला आ रहा है तथा कब्जे का इन्द्राज भी तहसील

न्यायालय से किया गया। 6 वर्ष की अवधि से कब्जा निरन्तर रहने से नामांतरण की कार्यवाही की जा सकती है। तहसील न्यायालय ने आवेदक का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है तथा दोनों अपीलीय न्यायालयों ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर ध्यान न देकर अपील निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर आवेदक को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते। इसी आधार पर तहसील न्यायालय ने आवेदक का नामांतरण आवेदन निरस्त करने में उचित कार्यवाही की है। यह भी तर्क किया कि आवेदक का कब्जा इंद्राज संबंधी आदेश अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त की दिया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक ने दिनांक 30–5–91 के अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र 2001 में तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। आवेदक ने दस वर्ष में उक्त दस्तावेज पंजीकृत नहीं कराया गया और न ही दस वर्ष की अवधि में उक्त दस्तावेज के आधार पर व्यवहार न्यायालय से डिकी प्राप्त की गई। अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का नामांतरण आवेदन निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। जहां तक आवेदक के कब्जा इंद्राज संबंधी तर्क का प्रश्न है आवेदक द्वारा स्वयं ही तर्क में यह स्वीकार किया है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक का कब्जा इंद्राज संबंधी आदेश निरस्त कर दिया है। अतः आवेदक का यह तर्क भी मान्य नहीं किया जा सकता है कि वादोक्त भूमि पर आवेदक का

कब्जा है। तहसील न्यायालय के वैधानिक आदेश को दोनों अपीलीय न्यायालय द्वारा भी स्थिर रखा गया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अतः यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन का आदेश दिनांक 19–10–2005 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर